संख्या-28/2016/1265 ई-2/तेरह-2016-130/2013

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25 मई, 2016

विषय: विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या- 12922/2011 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम मेसर्स त्रिवेणी इंजी0 एण्ड0 लि0 व अन्य तथा उसके साथ सम्बद्ध अन्य विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 अप्रैल, 2013 के अनुपालन धनराशि वापसी के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी-55/ दस-शीरा-प्रशासनिक शुल्क की वापसी, दिनांक 27-09-2013, पत्र संख्या- जी-102/ दस-शीरा-प्रशासनिक शुल्क की वापसी, दिनांक 15 मार्च, 2014 एवं संख्या- जी-32/ दस-शीरा-प्रशासनिक शुल्क की वापसी, दिनांक 03 जुलाई, 2014 तथा पत्र संख्या- जी-15/ दस-शीरा-प्रशासनिक शुल्क की वापसी, दिनांक 21 मई, 2015 एवं उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी-55/ दस / दस-शीरा-प्रशासनिक शुल्क की वापसी, दिनांक 31 अगस्त, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 3/1395 ई-2/तेरह-2014-130/2013 दिनांक 05 अगस्त, 2014 द्वारा रिट याचिका संख्या-11959/2009 मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्ड0 लि0 व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नदनांक 17 मार्च, 2011, रिट याचिका संख्या- 2175/1986 मेसर्स दि हिन्दुस्थान शुगर मिल्स लि0 व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20 मई, 2011 एवं रिट याचिका संख्या- 974 (एम0बी0)/1997 सरशादी लाल इण्टरप्राइजेज लि0 व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08 सितम्बर, 2011 तथा अन्य सम्बद्ध याचिकाओं में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30 अप्रैल, 2013 के अनुपालन में अन्तर्ग्रस्त चीनी मिलों, जिनकी कुल संख्या- 37 को संलग्न आगणन एवं निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रशासनिक शुल्क के रूप में उनसे जमा करायी गई कुल धनराशि 24,59,72,498.56 वापस किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई है कि चीनी मिलों द्वारा जमा किये गये प्रशासनिक शुल्क की वापसी के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे का मिलान/परीक्षण जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कोषागार से करने के पश्चात आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक के अनुमोदनोंपरान्त धनराशि वापसी की जायेगी।

3- उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 21 मई, 2015 एवं 31 अगस्त, 2015 के अन्तर्गत गोला चीनी मिल खीरी की प्रशासनिक शुल्क के मद में जमा धनराशि रू0 1,71,16,782/- की वापसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

का प्रकरण भी विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या- 12922/2011 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम मेसर्स त्रिवेणी इंजी0 एण्ड इण्ड0 लि0 व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 30 अप्रैल, 2013 तथा तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 05-08-2014 में अन्तर्निहित है। गोला चीनी मिल द्वारा प्रस्तुत दावे रू0 1,71,16,782/- के सापेक्ष रू0 6,50,000 के बिलों का सत्यापन सम्बन्धित कोषागार से न हो पाने के कारण सम्प्रति रू0 1,71,16,782/- के सापेक्ष रू0 1,64,66,782/- की धनराशि गोला चीनी मिल को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में वापस किये जाने की अनुमति प्रदान की जानी हे।

4- अत- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र में उल्लिखित पत्र दिनांक 21 मई, 2015 एवं 31 अगस्त, 2015 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर गोला चीनी मिल को प्रशासनिक शुल्क के मदों में जमा धनराशि रू0 1,71,16,782/- के सापेक्ष सम्प्रति रू0 1,64,66,782/- (रूपये एक करोड़ चौसठ लाख छाछठ हजार सात सौ ब्यासी मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में वापस किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

5- इस सम्बन्ध में जमा की गई धनराशि की वापसी वर्ष 2016-17 के लेखा शीर्षक " 0039- राज्य उत्पाद शुल्क -00-800- अन्य प्राप्तियॉं- 90- घटाएं वापसियां- 00" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय
(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या-28/2016/1265(1)ई-2/तेरह-2016-130/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-9
(4) सम्बन्धित जिलाधिकारी तथा कोषाधिकारी को आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के माध्यम से।
(5) आबकारी अनुभाग-1
(6) वैभागिक आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनुसचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in